

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1626 / 2021

दिनांक : 20.07.2021

श्रीमती रेणु सिंगला (RJ0731), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर (श्रीगंगानगर) को दिनांक 26.07.2021 से 21.01.2022 तक 180 दिवस का मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान) दिनांक 24.07.2021 से 25.07.2021 एवं 22.01.2022 से 23.01.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री दिप्ती स्वामी (RJ0889), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, श्रीगंगानगर को श्रीमती रेणु सिंगला के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर (श्रीगंगानगर) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:—

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक में अभिरक्षा है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. सुश्री दिप्ती स्वामी (RJ0889), अति. कार्यभार वाले न्यायालय में आनुकल्पिक सप्ताह (Alternate Week) कम से कम तीन दिन (At least for three days in alternate week) कैम्प कोर्ट करेंगे।

आज्ञा से,
रजिस्ट्रार (विगीकरण)
19.07.2021

क्रमांक:—स्था.बी.2 (4)/14/2013/4649

दिनांक 20.07.2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर को उनके पत्रांक 2395 दिनांक 12.07.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती रेणु सिंगला (RJ0731), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर (श्रीगंगानगर)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर (श्रीगंगानगर)।
5. सुश्री दिप्ती स्वामी (RJ0889), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, श्रीगंगानगर।
6. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, श्रीगंगानगर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

20.7.2021
सहायक रजिस्ट्रार